[illegible]

[illegible] जाति बेरवा निवासी रामगढ तहसील
[illegible] महवा जिला दौसा

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

[illegible] 103/18

[illegible] पुत्र घीस्याराम जाति बेरवा निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा

सायल

बनाम

अमरसिह पुत्र सोहनलाल जाति मीना निवासी बडीन हाल केशव कोलोनी मण्डावर रोड महवा तहसील महवा जिला दौसा

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 27–08–2019

दोनों प्रकरणों मे पक्षकार व आराजी समान होने के कारण सुविधा की दृष्टि से एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र उनवानी अमरसिंह बनाम भौरीलाल में प्रार्थी ने अंकित किया है कि ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 84/1320 रकबा 0.06 हैक्टयर सायल की कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। किन्तु गैरसायलान ताकत के बल पर आराजी को काश्त नहीं करने देते है। गैरसायलान ने दिनांक 16–6–13 को सायल के कब्जा काश्त में बाधा

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] किया जावे।

[illegible] किया गया है कि [illegible] सायल का किसी [illegible] की मौके पर फसल सरसब्ज़ [illegible] की खातेदारी बताकर हडपना [illegible]

[illegible] किया है कि आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा [illegible] उपभोग करते चले आ रहे है [illegible] जमा करवाते चले आ रहे है। [illegible] इसी प्रकार पर गैरसायल की [illegible] /2009 पेश कर रखा है। [illegible] दिनांक 16-12-2010 को [illegible] सायल का प्रार्थना पत्र [illegible]

[illegible]

[illegible] के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील उभय पक्ष ने जाहिर किया कि दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे।

अतः उभय पक्ष को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 84/1 रकबा 0.01 है. व 84/1320 रकबा 0.06 है. के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहें।

निर्णय आज दिहनांक 27-08-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मेंसुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)